

# MADHYAPRADESH POWER GENERATING COMPANY LIMITED

(M.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)

CIN-U40109MP2001SGC014882

OFFICE OF THE ADDL. CHIEF ENGINEER (O&M)

MPPGCL COLONY NO. 3, GANDHISAGAR

DISTT. - MANDSAUR (M.P.) 458771

Phone No. : 07427- 299212 E-mail - [acegsp@rediffmail.com](mailto:acegsp@rediffmail.com) & [seonmgsp@gmail.com](mailto:seonmgsp@gmail.com)



No. A.C.E. (O&M)/GS/ITI/2024 -25/ 453

GANDHISAGAR, DATED 02.08.2024

## अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत आई.टी.आई. अप्रेंटिस के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन

म. प्र. राज्य के शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं/व्यवसायों (ट्रेड) में एक वर्षीय (एक वर्ष) अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन आमंत्रित किये जाते हैं-

### आई.टी.आई. अप्रेंटिस

क्र.	व्यवसाय	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	इ.डब्ल्यू.एस.	दिव्यांग	कुल योग
1.	विद्युतकार	2	1	1	1			5
2.	फिटर	1	1	1	1	1		5
3.	वैल्डर		1					1
	कुल	3	3	2	2	1	0	11

### नोट-

- उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है। ऑन-लाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 10/09/2024 है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर मान. उच्च न्यायालय म.प्र. के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- इस वर्ष में समय-समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा।

### प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तें-

01. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता - शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में।

(अ) आई.टी.आई. अप्रेंटिस - शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से (एस.सी.व्ही.टी./एन.सी.व्ही.टी.) आई.टी.आई. उत्तीर्ण।

02. पात्रता -

(अ) उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो।

(ब) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय में कुल प्राप्तांकों (सी.जी.पी.ए.) की प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

03. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.जन.क.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी।

04. ऑन-लाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

05. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी।
06. आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशानिर्देश हेतु आवेदक समय-समय पर अपना ई-मेल आई. डी. तथा कम्पनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in> भी देखते रहे।
07. वरीयता प्राप्त आवेदकों को आमंत्रण (ऑफर लेटर) अप्रेंटिसशिप पोर्टल <https://www.apprenticeshipindia.gov.in/> पर उनके अप्रेंटिस प्रोफाइल पर भेजा जावेगा, एवं किसी भी तरह का पत्राचार उनके ई-मेल आई. डी पर ही किया जावेगा। अतः आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपना प्रोफाइल लगातार देखते रहे तथा अपना ई-मेल आई. डी. आवेदन करने से पहले बना ले जो कम से कम एक साल के लिये वैध हो।
08. अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./विकलांग के लिए आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।
09. उचित कारण मिलने पर किसी भी प्रशिक्षु का चयन रद्द करने का अधिकार गांधीसागर जल विद्युत गुड (मप्रपाजनकलि) गांधीसागर अपने पास सुरक्षित रखती है।
10. आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा। मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर, उज्जैन जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। तदोपरांत रिक्त सीटों को अन्य जिलों के उम्मीदवारों से भरा जावेगा।
11. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा (1वर्ष) कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
12. शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराये जाना आवश्यक होगा।
13. आवेदन से सम्बंधित विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html> पर उपलब्ध है।
14. **आरक्षण एवं आयु में छूट:-**
  - i. चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/ई.डब्ल्यू.एस. तथा दिव्यांग आरक्षण नियम 2019 (यथा संशोधित) एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनु.जाति./अ.ज.जा. संवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जायेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।
  - ii. रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों/श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनर्रीक्षित हो सकती है।
  - iii. सभी वर्गों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि **10.09.2024** के आधार पर की जावेगी।
  - iv. सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट रहेगी।
  - v. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।
15. **चयन प्रक्रिया :-** आई.टी.आई. उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) के तहत अप्रेंटिस हेतु वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024 में आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

- i. आईता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छंटाई की जावेगी। तत्पश्चात्, गांधीसागर जल विद्युत गुह (मप्रपाजनकॉलि) गांधीसागर द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों में आई.टी.आई. अप्रेंटिसशिप हेतु आई.टी.आई में प्राप्त सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) अंकों के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम (मेरिट लिस्ट) में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।
- ii. उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है।
- iii. निर्धारित समयवधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

#### 16. स्टाईपेण्ड—

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाईपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है—

क्र.	आईता	मसिक स्टाईपेण्ड (₹0 में)
1	एक वर्षीय आई.टी.आई अप्रेंटिस	7700/-
2	दो वर्षीय आई.टी.आई.	8050/-

नोट— इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

#### 17. चिकित्सा स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र—

- i. चयनित उम्मीदवार को चिकित्सा स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र (Certificate of Medical Fitness) जो कि किसी शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय के प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसे उम्मीदवारों द्वारा ज्वाइनिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। चिकित्सा स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र का प्रारूप (Annexure-I) संलग्न हैं।
- ii. दिव्यांग उम्मीदवारों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40% अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

#### 18. आवेदन कैसे करें—

आई.टी.आई. उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) के तहत अप्रेंटिस हेतु वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024 में आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

आई.टी.आई. उत्तीर्ण उम्मीदवार शासन की वेबसाइट <https://www.apprenticeshipindia.gov.in/> के माध्यम से दिनांक **10/09/2024** की मध्य रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाईन पद्धति से भरे जा सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे।

- आई.टी.आई. उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्रक्रिया— आवेदन से पूर्व उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप पोर्टल <https://www.apprenticeshipindia.gov.in/> पर पंजीकरण अनिवार्य है, यदि उम्मीदवार ने पंजीकरण नहीं कराया है तो निम्नांकित प्रक्रिया अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं :-

- i. सर्वप्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की वेबसाइट

<https://www.apprenticeshipindia.gov.in/> पर Toolbar में Apprentices → Candidate Registration पर Click करें।


- ii. आपको <http://apprenticeshipindia.org/register/candidate> Link दिखाई देगी उस पर Click करने से नया पेज खुल जायेगा।

- iii. Toolbar में Register बटन पर Click करें। "Register as Candidate" विकल्प का चयन करें।
- iv. व्यक्तिगत विवरण (Personal Details) Section में आधार नम्बर, वर्ग (General/OBC/SC/ST) नाम, पिता/माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग की प्रविष्टि करें।
- v. Contact Details section में अपना पूरा पता, मोबाइल नम्बर एवं E-mail ID व पासवर्ड प्रविष्टि करें। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन करने के लिये इसी E-mail ID एवं पासवर्ड का उपयोग करें।
- vi. Qualification section में अपनी तकनीकी (Technical) व शैक्षणिक (Academic) योग्यता की जानकारी प्रविष्टि कर संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करें।
- vii. Preference section में शिक्षता प्रशिक्षण के लिये आप अपने sector/व्यवसाय (Trade) की प्राथमिकता का चयन करें।
- viii. चौथे चरण (Fourth Stage) में अपना फोटो, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र व स्केन्ड हस्ताक्षर अपलोड करें व Continue पर Click करें।
- ix. अन्तिम पेज पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी का प्रिव्यू प्राप्त होगा। Edit बटन पर Click करके जानकारी में परिवर्तन किया जा सकता है सभी जानकारियां सही होने पर Confirm बटन पर Click करके पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करें।
- x. Candidate Registration की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त आपके द्वारा Contact Detail में दिये गये E-mail ID एवं पासवर्ड से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
- xi. उम्मीदवार पंजीकरण के उपरान्त "Establishment Search" में जाकर गांधीसागर जल विद्युत गुह (मप्रपाजनकॉलि) गांधीसागर का विकल्प चुन कर संस्थान के विज्ञापन में दर्शाई गई रिक्तियों में योग्यता अनुसार आवेदन करें।

**19 महत्त्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तः-**

- i. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षता प्रशिक्षण के लिये योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही हैं।
- ii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित आर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं। अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।
- iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे चूँकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।
- iv. यदि उम्मीदवार अपने ऑन-लाइन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो Edit my profile में जाकर परिवर्तन कर सकते हैं।
- v. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षता अधिनियम 1961(यथासंशोधित) के प्रावधानों के आधार पर किया जावेगा।
- vi. उम्मीदवार चयन हेतु गांधीसागर जल विद्युत गुह (मप्रपाजनकॉलि) गांधीसागर द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

- vi. उम्मीदवार चयन हेतु गांधीसागर जल विद्युत गुह (मप्रपाजनकलि) गांधीसागर द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- vii. शिक्षुता अवधि में अभ्यर्थियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
- viii. प्रशिक्षुओं का चयन होने की स्थिति में उनके निवास स्थान के पुलिस थानों द्वारा जारी किया गया "चरित्र प्रमाण" पत्र जमा करना आवश्यक है।
- ix. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा।
- x. गांधीसागर जल विद्युत गुह (मप्रपाजनकलि) गांधीसागर को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढ़ाने/पदों के आवंटन में परिवर्तन का अधिकार होगा।
- xi. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
- xii. उम्मीदवार ध्यान रखें कि, शिक्षुता अधिनियम 1961 की कडिका 22 (1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरान्त गांधीसागर जल विद्युत गुह (मप्रपाजनकलि) गांधीसागर किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

  
अति. मुख्य अभियंता (संचा/संधा)  
गांधीसागर जल विद्युत गुह  
म.प्र.पॉ.ज.क.लि. गांधीसागर



**CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS**

The medical certificate should be signed by Government authorized Doctor (Gaz.), not below the rank of Asst. Surgeon of Central / State Hospital.

- 01. Name (In Block letters) .....S/D of.....
- 02. Age ..... , Height....., Weight....., Chest Expansion.....
- 03. Vision in each Eye :
- 04. Hearing in both Ears :
- 05. Skin Whether any evidence of acute or chronic skin disease of chronic ulceration.
- 06. Speech
- 07. Alimentary System: (a) Sugar in Urine....., (b) Hernia/ Hydrocele/ Piles.....  
(c) Remarks, if any other disorder found.
- 08. Cardio Vasular System: (a) Blood Pressure.....,(b) Remarks, if any other disease is found.
- 09. Respiratory System:
- 10. Genito Urinary System:
- 11. Skeletal System:
- 12. Nervous System:
- 13. Glandular System: Whether any evidence of tuberculosis/ or other disease of glandular system including endocrine glands.....

I certify that I have examined Mr/ Ms .....Son/  
Doughter of .....The standard of physical fitness has been checked as per  
SCHEDULE-II (Rule-4) of Apprentices Rules 1992. He /She is physically fit for being engaged as an  
apprentices in a Trade .....under the Apprentices Act. 1961.

.....  
**Signature of the candidate**

**Signature of the Medical Officer  
With legible seal**